

शेष विवरण

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलेक्टर - कोमू (जयपुर)
इसरसिंह बनाम उम्मेद व अन्य

मुकदमा संख्या / वर्ष : 08 / 2021
71.

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		<p>निषेधाज्ञा का है जो सहमति के आधार पर प्राथमिक डिप्टी से चुकाई प्रकल में अन्तर्लिप्त अर्थात् निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई है। प्रकल में अब न्यायालय अभिमत में अर्थात् निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित नहीं समझते हैं। अब प्रकल में अर्थात् निषेधाज्ञा जारी करने से वाद का हलका करने का अदेशा रहता है। 130। उपरोक्त विवेचन अनुसार डा० फज अर्थात् निषेधाज्ञा का स्वदिज किया जाता है। प्रजावली में सल शुभा ठेका उज नम से कम है तथा सुल काड के साथ रहे।</p>	

